न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2023(रसद) (GCMS 2023/7)	**09.01.2023**	**30.01.2024**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल प्रजापत पिता गंगाराम प्रजापत निवासी गंगाराम जी की होटल चित्तौड़गढ़ रोड कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक हनु इन्द्र सिंह, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.01.2023 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक गंगाराम जी की होटल पर पहुँचे। वक्त निरीक्षण मौके पर मोहन प्रजापत उपस्थित मिले व मौके पर एचपी कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डरों को उक्त दुकान पर व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार कपासन नासिर बेग पिता शुगन बेग मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुँचे व तहसीलदार कपासन नासिर बेग पिता शुगन बेग एवं उचित मूल्य दुकानदार कैलाश भट्ट पिता बगदू भट्ट निवासी बामनिया मोबाईल नंबर 8290516563 की मौजूदगी में दुकान में उपस्थित सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **20.6 Kg.** गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक **DEEPAK GAS AGENCY** के संचालक/प्रतिनिधि अखिलेश चण्डालिया पिता वरूण कुमार चण्डालिया निवासी दुगड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौहल्ला पीपली बाजार वार्ड नंबर 14 कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मोबाईल नंबर 9468954989 की सुपुर्दगी में कुल 04 सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **20.6 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 30.01.2024 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 03.01.2023 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक गंगाराम जी की होटल पर पहुॅचे। वक्त निरीक्षण मौके पर मोहन प्रजापत उपस्थित मिले व मौके पर एचपी कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डरों को उक्त दुकान पर व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार कपासन नासिर बेग पिता शुगन बेग मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुॅचे व तहसीलदार कपासन नासिर बेग पिता शुगन बेग एवं उचित मूल्य दुकानदार कैलाश भट्ट पिता बगदू भट्ट निवासी बामनिया मोबाईल नंबर 8290516563 की मौजूदगी में दुकान में उपस्थित सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **20.6 Kg.** गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक **DEEPAK GAS AGENCY** के संचालक/प्रतिनिधि अखिलेश चण्डालिया पिता वरूण कुमार चण्डालिया निवासी दुगड मौहल्ला पीपली बाजार वार्ड नंबर 14 कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मोबाईल नंबर 9468954989 की सुपुर्दगी में कुल 04 सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **20.6 Kg.** गैस पाई गई। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई जिसकी पुष्टि फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा से होती है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिस पर विपक्षी, गवाहान एवं **DEEPAK GAS AGENCY** के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 04 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **20.6 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 03.01.2023 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी मोहनलाल प्रजापत पिता गंगाराम प्रजापत निवासी गंगाराम जी की होटल चित्तौड़गढ़ रोड कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) की दुकान से जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **20.6 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.01.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़